GCMS No. : 2023/37

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारीः– डॉ हरीतिमा, आर0ए0एस0

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 16/2023

जीतसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

अभियुक्त (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्त्ता) श्री गणेश दास पुत्र श्री खेताराम अरोड़ा, निवासी वार्ड नंबर–04, रिड़मलसर, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।
फर्म – मै. हिमांशु ट्रेडिन्ग कम्पनी, मैन बाजार, रिडमलसर, जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(।।)/52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय **दिनांक : 20 जुलाई, 2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री जीत सिंह यादव कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 01.09.2022 द्वारा उन्हें कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकत्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में आते है।

श्री जीत सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.02.2022 को समय दोपहर 12 बजे फर्म हिमांशु ट्रेडिन्ग कम्पनी, मैन बाजार, रिडमलसर श्रीगंगानगर पहुंचे। मौके पर विक्रेता श्रीगणेश दास पुत्र श्री खताराम अरोड़ा दुकान के मालिक की हैसियत से मिला। दुकान के अंदर 500–500 ग्राम **चाय (मनु राजा)** एक थैले में लगभग 80 नग आमजन को विक्रय हेतु बताया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के बेचान हेतु पदार्थ चाय (मनु राजा) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

चाय (मनु राजा) के 500–500 ग्राम की 4 पौली पैक विक्रेता से खरीद की एवं मौके पर 600 रूपए का भुगतान किए एवं केशमीमो बनवाकर, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा चाय (मनु राजा) को चार बराबर भागों में बांट कर लेबल तैयार कर चिपकाए, लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किए। तत्पशचात खरीद शुदा चाय (मनु राजा) के चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप के–1661 को नियमानुसार चारों नमूनों को नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बंद कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर, समझाकर फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर हेतु कहा, जिसे श्री गणेश दास ने सही मानकर हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यलय पहुंचकर फार्म 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सीलबन्द कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा शेष तीन सील बंद नमूना भाग मय फार्म 6 की प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं सी.एम.एच.ओ., श्रीगंगानगर को स्वयं ने जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, बीकानेर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/231/एक्ट/2022/231 दिनांक 22.02.2022 के अनुसार खाद्य नमूना **के–1361** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(II)/52 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ **अमानक (मिसब्राण्डेड)** फूड पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रीगांनगर ने अभियुक्त के विरूद्ध एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 06.02.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा **चाय (मनु राजा)** बाजार से खरीद किया था, प्रार्थी फर्म द्वारा किसी भी तरह का काई मिलावटी समान का विक्रय नहीं किया जाता है और ना ही प्रार्थी फर्म द्वारा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अमानक पदार्थ दुकान पर रखा जाता है, इस प्रकार प्रार्थी द्वारा धारा 26(2)(सैकिण्ड)/51 एफएफएसए 2006 एवं सहपठित नियम 2011 का उल्घंघन नहीं किया है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध की गई उक्त नोटिस कार्यवाही को समाप्त की जाकर प्रार्थी को राहत पहंचाई जाए।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री गणेश दास पुत्र श्री खेताराम अरोड़ा मै0 हिमांशु ट्रेडिन्ग कम्पनी, मैन बाजार, रिडमलसर, जिला श्रीगंगानगर से लिया गया **चाय (मनु राजा)** का सैम्पल **के–1361** जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस/231/एक्ट/2022/231 दिनांक 22.02.2022 द्वारा **मिसब्राण्डेड (अमानक)** पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II)/52 के उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि The sample of "**Tea(मनु राजा)**" bearing Code No. and Sr. No. K-1361 of Designated Officer cum the Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar, is **Misbranded Food** Under Section 3(1)(zf)(C)(i) of FSS Act. 2006.

फलस्वरूप, श्री गणेश दास पुत्र श्री खेताराम अरोड़ा मै0 हिमांशु ट्रेडिन्ग कम्पनी, मैन बाजार, रिडमलसर, जिला श्रीगंगानगर को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(II)/52 के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री गणेश दास को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 7000/– (अखरे रूपये सात हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डॉ. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्री गंगानगर।